न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :—171/2023 निर्णय दिनांक :— 13.05.2024

शैतान पुत्र प्रभुदियाल जाति मीना उम्र बालिग निवासी वजीराबाद तहसील एवं जिला टोंक राज० —प्रार्थी—

—बनाम—

तहसीलदार महोदय नगरफोर्ट जिला टोंक राज0। —अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

श्री सत्यनारायण धाकड़ अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार नगरफोर्ट

प्रार्थना पत्र अ०धारा 251 ए राज. टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 686 खसरा नम्बर 2750/1869 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम नगर पटवार हल्का नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज० मे स्थित है। राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नम्बर 1745 गै०मु० सड़क एवं 1864/2501 राजकीय भूमि बारानी दर्ज है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै. मु. सड़क खसरा नम्बर 1745 से राजकीय भूमि बारानी खसरा नम्बर 1864/2501 मे से होकर आता जाता रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाता ले जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै. मु. सड़क खसरा नम्बर 1745 से राजकीय भूमि बारानी खसरा नम्बर 1864/2501 मे से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज० टीनेन्सी एक्ट

मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 686 खसरा नम्बर 2750/1869 रकबा 1.00 है० वाके ग्राम नगर पटवार हल्का नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज० पर आने जाने के लिये गै. मु. सड़क खसरा नम्बर 1745 से राजकीय भूमि बारानी खसरा नम्बर 1864/2501 मे से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार हां, प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। हां. प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है।. प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 30 फीट लम्बाई 140 फीट कुल क्षेत्रफल 4200 वर्गफीट लगभग 0.04 है0 भूमि रास्ते के काम में आना है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 652133 रूपये प्रति है0 है। प्रस्तावित भूमि 0.04 है0 की दुगुनी राशि 52170 रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित प्रति संलग्न । प्रार्थी ख0न0 1864/2501 रकबा 0.85 है0 सिवायचक में से रास्ता चाहता है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई भी संरचना है। अप्रार्थी राज्य सरकार है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

अतः बिन्दुवार रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार नगरफोर्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को अपने आराजी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थी इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है।

अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि रिपोर्ट के तथ्यो को ही दोहराया।

न्यायालय में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार नही बताया है। प्रार्थी की भूमि खाता नम्बर 686 खसरा नम्बर 2750/1869 रकबा 1.00 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.00 है0 वाके तनग्राम नगर पटवार हल्का नगर तहसील नगरफोर्ट प्रार्थी की भूमि से पूर्व सिवायचक भूमि ख. नं. 1864/2501 रकबा 0.85 है0 वाके तनग्राम नगरफोर्ट है, जिसमें से प्रार्थी रास्ता चाहता है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगरफोर्ट को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता जिसकी चौड़ाई 30 फीट एवं लम्बाई 140 फीट अर्थात कुल क्षैत्रफल 4200 वर्ग फीट लगभग 0.04 है0 के रास्ते की तरमीम प्रार्थी द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 52170/- अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 13.05.2024 को सुनाया गया।

13.5.24

उपखण्ड अधिकारी
देवली